''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 7 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2006 होगा.
   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);
   (ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा;
   (ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उसके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं.

3. अधिनियम के अधीन चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार उपलब्ध करायी जाएगी :—

(क) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गयी जानकारी हेतु—

(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है.

(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी.

(तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च का है तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा

(ख) प्रश्नोत्तर प्ररूप में मांगी गई जानकारी हेतु (नॉन बीपीएल कार्डधारकों के लिए) —

(एक) आवेदकों द्वारा प्रश्नोत्तर प्ररूप में मांगी गई जानकारी यदि आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उसी मांगे गये प्रारूप में दी जावेगी, परंतु इस प्रकार तैयार की गई जानकारी के प्रति पृष्ठ की कीमत रुपये 100.00 (रुपये एक सौ मात्र) होगी,

अथवा,

(दो) उत्तर तैयार करने में जन संसाधन, कम्प्यूटर समय व अन्य संसाधनों पर आने वाले खर्च अथवा जिन अभिलेखों से यह जानकारी तैयार की जानी है, उनके छायाप्रति पर होने वाले खर्च की गणना की जावेगी. आवेदक को उसके विकल्प पर राशि जमा करने हेतु सूचित किया जावेगा. आवेदक द्वारा विकल्प का प्रयोग कर शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त जानकारी दी जावेगी. अन्यथा नस्ती/अभिलेख अवलोकन करने की अनुमति दी जावेगी.

4. नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घंटे का शुल्क जो अब तक मुफ्त था वह अब रुपये 50 (रुपये पचास केवल) होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 दिनांक 9 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 9th March 2006

NOTIFICATION

No. F 2-10/2006/1/6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of read with sub-section (9) of Section 7 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following Rules namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Right to Information (fees and charged) Rules, 2006.
   (2) It shall come into force from the date of its publication of the Official Gazette.

2. **Definitions :—** In the rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).
   (b) "Section" means section of the Act.
   (c) The words and expressions used but not defined in these rules carry of the provisions of the Act.

3. Information sought under the Act, shall be provided as described hereunder :—
   (A) For information sought by persons below poverty line—

   (i) If the information sought relates to his/her life then the information will be provided in the form in which it is demanded.
   (ii) If the information sought is not pertaining to self but if the information can be given in 50 photocopied pages (of A4 size) or the cost of production of information is within Rs. 100 (Rupees one hundred only) then the sought information will be provided in the form it is sought.
   (iii) If the information sought involves photocopying of more than 50 pages or the cost of production exceeds Rs. 100 (Rupees one hundred only) then by recording reasons under section 7(9) of the Act the applicant will be requested to inspect the records/files in the office.

   (B) For the information sought in question-answer form (for non-BPL people) —

   (i) If the information pertains to individual life of the applicant then the information will be provided in the form demanded. But the cost of such information produced will be Rs. 100 (Rupees one hundred only) per page.

   OR

   (ii) The cost of producing information by considering cost of human resources computer time and other resources or the cost of photocopying the records from which such information will be prepared shall be calculated. The applicant shall be communicated to deposit the cost of his/her choice. The information will be provided in the form as per the choice of fee deposit exercised by the applicant, otherwise ispection of file/records will be allowed.

4. The fee for inspection of file for first hour which was free till date shall be now Rs. 50 (Rupees fifty only).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.